बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(युवा कार्य एवं खेल निदेशालय)

70

बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष
मार्गदर्शिका – 2006–07

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 04/07/07

संख्या–2/ब1–17/2006...44.../ राज्य सरकार द्वारा योजना मद से प्रतिवर्ष खिलाड़ी कल्याण कोष के मद में राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती हे। इस योजना के तहत् राज्य की खिलाड़ियों को सहायता अनुदान स्वीकृति हेतु संशोधित मार्गदर्शिका/निर्देशिका निम्नवत् रूप से निर्धारित किया जाता है :–

योजना का नाम एवं क्षेत्राधीन :–

1. यह योजना **"बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष"** बिहार राज्य में लागू होगा।
   बेरोजगार खिलाड़ी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं।

2. परिभाषा –
   इस योजना में यदि संदर्भ में अन्यथा आपेक्षित हो।

(क) "योजना" का अर्थ है खिलाड़ी के लिए राज्य कल्याण कोष के लिए योजना।

(ख) "समिति" का अर्थ है खिलाड़ियों के लिए राज्य कल्याण कोष से स्वीकृती हेतु गठित समिति।

(ग) "अभावग्रस्त परिस्थितयाँ" का अर्थ है वह परिस्थिति जिसके अन्तर्गत खिलाड़ी परिवार की कोई आय न हो और विपत्ती में हो या सभी स्त्रोंतों से उसके परिवार की आय 5000/– रु0 प्रतिमाह से अधिक न हो या ऐसी ही कोई परिस्थितियाँ जिसे समिति अभावग्रस्त परिस्थिती समझती हों,

(घ) "खेल" का अर्थ है कि खेलकूद, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ विद्यमान नहीं हैं, भी योजना के अन्तर्गत शामिल हो सकते हैं, यदि कोष को सामान्य समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ड.) "खिलाड़ी" का अर्थ है, व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर (सिनियर, जुनियर, सब जुनियर, स्कूली, ग्रामीण खेल, महिला खेल) पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है और उत्कृष्टता प्राप्त करता है।

(च) "उत्कृष्ठ खिलाड़ी" का अर्थ है ऐसा खिलाड़ी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम 16 में या टीम प्रतियोगिता में आठवें स्थान के भीतर स्थान प्राप्त किया है या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम देश का प्रतिनिधितव किया है या राज्य चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्द्धा में प्रथम 4 स्थान या टीम स्पर्द्धा में विजेता/उप विजेता स्थान प्राप्त किया हो या राज्य का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया हो ।

(छ) "राष्ट्रीय प्रतियोगिता" का अर्थ है भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स, सिनियर, जुनियर, सब जुनियर, स्कूली, ग्रामीण एवं महिला की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएँ या ऐसी सरकारी राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ से मान्यता प्राप्त हो (इसमें आमंत्रण प्रतियोगिताएँ शामिल नहीं है)

(ज) "अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता" का अर्थ है ऑलम्पिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, विश्व चैम्पियनशिप, ऐशियन चैम्पियनशिप खेल, एफ्रोएशियन गेम, सैफ गेम्स या अन्य ऐसी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताएँ। इसमें आमंत्रण टूर्नामेन्ट शामिल नहीं है।

बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष
हेतु
आवेदन पत्र का नमूना

(यदि आवेदक किसी राजपत्रित अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कि वह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना को सत्यापित करता है तो अनुरोध को शीघ्र जाँच करने में सुविधा होगी)

1. आवेदक का नाम :
   (साफ अक्षरो में)
2. पिता का नाम :
3. पूरा डाक पता :
4. स्थायी पता :
5. जन्म तिथि :
   (दस्तावेजी सबूत सहित)
6. वर्तमान व्यवसाय/नियोक्ता
   के नाम एवं पूरा पताः
7. खेल जिसमें भाग लिया था :
8. खेल परिणाम/उपलब्धियाँ (अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ)

खेल	वर्ष	स्थान	टूर्नामेंट का नाम	प्राप्त स्थान	अभियुक्ति

(कृपया सभी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेन्ट के अवसर पर की गयी दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें)

9. परिस्थितियाँ एवं उद्देश्य, जिसके लिए
   वित्तीय सहायता आपेक्षित हैं:
10. अपेक्षित वित्तीय सहायता की मात्रा :–
11. आवेदक के सभी स्त्रोतों से आवेदक की वार्षिक आय :
12. अन्य स्त्रोतों से इस प्रयोजनार्थ कोई
    वित्तीय सहायता भी ली गई यदि हाँ
    तो प्राप्त सहायता की मात्रा सहित
    व्योरा दीजिए।
13. अन्य कोई संबंधित सूचना।

दिनांकः
स्थानः

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर
(नामः)

घोषणा

मैं एतद् द्वारा निश्चयपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर लिखे व्यौरें सही है।

दिनांकः

मेरे उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये (2 गवाह)

1. ____________________ नाम एवं पता

2. ____________________ नाम एवं पता

(आवेदक का हस्ताक्षर)

3. **योजना का लक्ष्य :–**

(i) खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रतियोगिता के दौरान घायल होने पर तो उन्हें चोट के आधार पर उपयुक्त सहायता देना।

(ii) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य /देश का गौरव बढ़ाया है और अपने कड़े प्रशिक्षण या अन्यथा के कारण अयोग्य हो गयें हैं, उन्हें चिकित्सा उपचार देने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करना और यह मानदेय के आधार पर होगा।

(iii) अभावग्रस्त परिस्थितियों में खिलाड़ियों की विपत्ती को दूर करने के लिए, उनके कल्याण के लिए कोष से सहायता प्रदान करना।

(iv) उदीयमान खिलाड़ियों को अभावग्रस्त परिस्थितियों में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु, खेल उपस्कर, किट आदि के लिए सहायता प्रदान करना ।

(v) अन्य सभी कार्य जो उपरोक्त लक्ष्यों के प्रासंगिक है।

4. **आवेदन तथा उस पर विचार :–**

(क) "बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष" से वित्तीय सहायता हेतु संलग्न प्रोफार्मा में आवेदन प्राप्त किया जायगा।

(ख) प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोष की स्वीकृति हेतु गठित समिति द्वारा विचार किया जायगा और निर्णय लिया जायगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा । किसी कारणवश समिति की बैठक निकट भविष्य में होने की उम्मीद न हो तो, प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार और निपटान समिति द्वारा नामित तीन सदस्यों से बनी समिति से परिचालन द्वारा किया जा सकेगा।

(ग) समिति यदि जरूरी समझे तो कारणों को लिखित में दर्ज करके सहायता अनुदान बन्द कर सकती है।

5. **समिति और उसकी बैठकें**

"बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष" से सहायता अनुदान की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति होगी। समिति के मनोनीत सदस्यों का कार्यावधि अधिकतम दो वर्ष की होगी।

समिति अनुदान स्वीकृति के लिए आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी परन्तु हर हालत में उसकी बैठक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगी।

समिति–

(i)	सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग–	अध्यक्ष
(ii)	महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण–	उपाध्यक्ष
(iii)	निदेशक (छात्र एवं युवा कल्याण)–	सदस्य सचिव
(iv)	निदेशक सह सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण–	सदस्य
(v)	अध्यक्ष, बिहार राज्य ऑलम्पिक संघ–	सदस्य
(vi)	दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी वरीष्ठ – खिलाड़ी/प्रशिक्षक	सदस्य
(vii)	राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा नामित दो अनुभवी खेल तकनिकी पदाधिकारी –	सदस्य
(viii)	स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत दो चिकित्सक (सिविल सर्जन स्तर के) –	सदस्य

(गणपूर्ति– बैठक गणपूर्ति चार सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए)

6. **कोष से सहायता की मात्रा :–**

(i) एक मुश्त सहायता

इस योजना के अन्तर्गत खिलाड़ी को सहायता अनुदान एक मुश्त रूप में प्रदान किया जायेगा।

(क) प्रशिक्षण के दौरान या अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने में हुई घातक दुर्घटना के लिए अधिकतम 30,000/– रुपये तक।

(ख) खिलाड़ी को कोई घातक चोट के अतिरिक्त कोई अन्य चोट लगने के मामले में अधिकतम 10000/– रुपये। किसी भी मामले में सहायता की राशि 5,000/– रुपये से कम न होगा।

(ग) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में जो स्थाई तौर पर या अनिश्चित तौर पर सेवा से विकलांग हो गया है को अधिकतम 5,000/– रुपये की राशि।

(घ) चिकित्सा निदान हेतु सहायता– उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को अभाव परिस्थिति में चिकित्सा निदान के लिए 5000/– से 25000/– तक।

परन्तु उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि किसी अन्य योजना जैसे की बीमा योजना से/ अपने नियुक्ति कर्त्ता से सहायता प्राप्त करता है और इस योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहा हैं, तो उसे मेडिकल सहायता के लिए तुरन्त सहायता के रूप में अधिकतम 5,000/– रुपये तक की राशि दी जायेगी।

(7) इस संबंध में पूर्व से निर्गत सारे मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।

2/7/07

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 853/ पटना, दिनांक: 04/07/07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि 100 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/7/07

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 853/ पटना, दिनांक: 04/07/07

प्रतिलिपि– महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/ मा0 मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप निदेशक, शा0शि0/प्रमंडलीय अधीक्षक, शा0शि0/जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा0शि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

2/7/07

(अब्दुर रहमान)
सरकार के संयुक्त सचिव।